वन विभाग पर गरीब का आशियाना गिराने का आरोप

धरियावद विधायक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने निकाली जन आक्रोश रैली, धरने पर बैठे विधायक

धरियावद (प्रातःकाल संवाददाता)। धरियावद क्षेत्र के जुना बोरिया में विगत दिनों वन विभाग की ओर से अतिक्रमण के नाम पर एक परिवार का मकान ढहाने की कार्रवाई ने अब तूल पकड़ लिया है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और वन विभाग के दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर सोमवार को धरियावद में ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर जन आक्रोश रैली निकाली।

विधायक थावरचंद डामोर के नेतृत्व में निकली जन आक्रोश रैली में शामिल ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। यहां उपखंड कार्यालय के बाहर सड़क किनारे धरियावद विधायक थावरचंद डामोर के साथ ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। आयोजित रैली सभा में ग्रामीणों ओर वक्ताओं ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पीड़ित परिवार के साथ मिलकर ग्रामीणों ने कार्यवाहक उपखंड अधिकारी अश्विन को एक ज्ञापन सोपा जिसमें मुख्य रूप से मकान गिराने में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने पीड़ित परिवार का मकान पुनः बनवाया जाए और उन्हें हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए ,पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई परिवार को न्याय आवास देने की मांग शामिल थी।

धरियावद विधायक थावरचंद डामोर धरने पर एवं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देता पीड़ित परिवार।

विधायक ने घेरा वन विभाग ओर प्रशासन को बैठे धरने पर

वन विभाग की कार्यवाही के विरोध में ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे धरियावद विधायक थावरचंद ने वन विभाग की कार्यशैली पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बरसों से काबिज लोगों को बेवजह विस्थापित करने में वन विभाग लगा हुआ है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने इस मामले में सरकार को भी घेरते हुए कहा कि गरीब परिवारों को उजाड़ने वाली ऐसी दमनकारी नीतियों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए।

वन विभाग कार्यालय पहुंचे ग्रामीण यहां भी दिया धरना

उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन एवं सभा ज्ञापन के बाद ग्रामीण सीधे वन विभाग के कार्यालय पहुंचे और विधायक थावर चंद के साथ धरने पर बैठ गए समाचार भेजे जाने तक पीड़ित परिवार एवं ग्रामीणों का का धरना जारी था देर शाम तक वन विभाग कार्यालय प्रांगण में वार्ता जारी थी जिसमें उपखंड अधिकारी अश्विन, पुलिस उप अधीक्षक मदन गेहलोत, नाना लाल सालवी, सीआई हजारीलाल मीणा सहित प्रशासन के अलावा वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि गत दिनों धरियावद ब्लॉक के जुना बोरिया में वन विभाग के कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक गरीब परिवार के मकान को ध्वस्त कर दिया था। विभाग का तर्क है कि उक्त जमीन वन विभाग की सीमा में आती है, जिस पर परिवार का कब्जा था। वहीं, पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनका मकान पंचायत भूमि पर स्थित था और विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया का पालन किए मनमाने तरीके से मिलीभगत कर उनके घर को मलबे में तब्दील कर दिया।

ग्रामीण सेवा शिविर जावद का जिला कलक्टर ने किया निरीक्षण

अधिकारियों को दिए त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश

सराड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। राज्य सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के तहत सोमवार को ग्राम पंचायत जावद में आयोजित शिविर का जिला कलक्टर मुहम्मद जुनेद ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार आस्था रानी बामनिया भी मौजूद रहीं। जिला कलक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से शिविर की प्रगति की जानकारी ली, विभागवार उपलब्धियों की समीक्षा की तथा आमजन से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविर में 22 विभागों द्वारा एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को उपलब्ध कराया गया।

सराड़ा। जिला कलेक्टर प्रमाण पत्र सौंपते हुए। हरीश चतुर्वेदी

राजस्व विभाग ने सीमाज्ञान के 4, नामांतरण के 3, रास्ता प्रकरण का 1, खाता शुद्धिकरण के 10, जाति प्रमाण पत्र के 22 तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के 22 प्रकरणों का निस्तारण किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना की 22 किस्तें जारी कीं, 9 प्रॉपर्टी पार्सल एवं पट्टे वितरित किए, 12 व्यक्तिगत शौचालयों तथा 9 सोखता गड्ढों की स्वीकृति जारी की। इसके अलावा 8 पेंशन स्वीकृत की गईं, 2 पेंशन सत्यापन, 2 जॉब कार्ड, 5 जन्म प्रमाण पत्र एवं 3 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। ऊर्जा विभाग ने एक जले ट्रांसफॉर्मर एवं दो ढीले तारों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया तथा लोड संबंधी एक प्रकरण का निस्तारण किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 62 संभावित टीबी रोगियों की पहचान, 180 गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच तथा 174 लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग की।

शिक्षा विभाग ने पालनहार योजना में 8 प्रकरणों में सहयोग प्रदान किया तथा 65 नए विद्यार्थियों का नामांकन कराया। पशुपालन विभाग ने 37 बड़े एवं 49 छोटे पशुओं का उपचार किया, 83 पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाई तथा 16 मंगला पशु बीमा पॉलिसियां जारी कीं। आयुर्वेद विभाग ने 47 रोगियों को स्वास्थ्य परामर्श दिया।

वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 10 आधार सीडिंग एवं 20 ई-केवाईसी कार्य पूर्ण किए गए। इस दौरान शिविर में शिविर प्रभारी दयाचंद यादव, सहायक शिविर प्रभारी तुलसीराम मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी सुरेश चंद्र खटीक, प्रशासक रमेश मीणा, भू-अभिलेख निरीक्षक मावा लाल मीणा, कानूनगो यशोदा खटीक, ग्राम विकास अधिकारी मावा राम पटेल, पटवारी मोहन मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनीष पाठक, सीडीपीओ प्रकाश चौबीसा सहित 22 विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन शिविर में मौजूद रहे।

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर श्री चारभुजा मंदिर में ठाकुरजी का हुआ विशेष श्रृंगार

लावासरदारगढ़ । कस्बे के सदर बाजार स्थित श्री चारभुजा मंदिर में सोमवार को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर ठाकुरजी के बाल स्वरूप का आकर्षक एवं मनोहारी श्रृंगार किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित जगदीश शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ठाकुरजी को विशेष पोशाक धारण करवाई तथा मनमोहक श्रृंगार कर विधिवत पूजा-अर्चना की। विशेष श्रृंगार के बाद मंदिर में ठाकुरजी के बाल स्वरूप की दिव्य छटा देखते ही बन रही थी। जैसे ही मंदिर के पट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं मंगल की कामना की।

शिक्षा विभाग का भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित

भामाशाह एवं प्रेरकों का किया सम्मान

राजसमंद (प्रातःकाल संवाददाता)। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले भामाशाहों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के उद्देश्य से सोमवार को शिक्षा विभाग द्वारा विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय, राजसमंद में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने शिक्षा के क्षेत्र में एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक का सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों एवं उन्हें प्रेरित करने वाले प्रेरकों का सम्मान किया।

समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर हसीजा ने कहा कि मानव जीवन पर देव गण, पितृ गण एवं ऋषि गण सहित विभिन्न प्रकार के गण होते हैं।

जिला कलक्टर ने श्रीमद्भगवगीता का उल्लेख करते हुए कहा कि सात्विक दान वही है, जो योग्य पात्र को उचित समय पर निःस्वार्थ भाव से प्रदान किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया दान सर्वाधिक प्रभावी एवं स्थायी निवेश है, जिसका लाभ वर्षों तक अनेक पीढ़ियों को प्राप्त होता है।

अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वरलाल ने की। उन्होंने कहा कि शिक्षा में किया गया दान समाज के समग्र विकास का आधार है तथा इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। जिला शिक्षा अधिकारी गिरजाशंकर मिश्रा ने सभी भामाशाहों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। समारोह के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे भामाशाहों ने शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए अतिरिक्त सहयोग की घोषणाएं भी कीं। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शिवकुमार व्यास ने किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी छगन पूर्बिया, स्थापना अधिकारी कुबेर सिंह, प्रवीण सहलोत, प्रांजल सिंह झाला, गणपत चारण, विद्या निकेतन विद्यालय के सचिव राजेश खंडेलवाल, संस्था प्रधान शंकरलाल सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी, भामाशाह एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

नगरपालिका फतहनगर-सनवाड़ में शहरी समस्या समाधान शिविर

फतहनगर । आमजन की समस्याओं के त्वरित निवारण और सेवाओं के शीघ्र निस्तारण के लिए सोमवार को नगरपालिका परिसर में शहरी समस्या समाधान शिविर 2026 का आयोजन किया गया। शिविर में अधिशाषी अधिकारी छैल कंवर चारण सहित स्थानीय जन प्रतिनिधि, पूर्व पार्षद और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शिविर के दौरान जनहित से जुड़े कुल 32 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से मुस्तैदी दिखाते हुए 30 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

आम सूचना

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे व्यवहारी श्री सुकेश धवन पुत्र स्व. श्री धनराज धवन, निवासी हाउसिंग बोर्ड, बांसवाड़ा राजस्थान के निवासी है जो कि अपने पैतृक मकान नम्बर 4-बी-7, माही सरोवर विस्तार योजना, हाउसिंग बोर्ड, बांसवाड़ा में स्थित है, उक्त मकान मेरे व्यवहारी के हक अधिकार का है। उक्त वर्णित मकान मेरे व्यवहारी द्वारा विक्रय किया जा रहा है, जिसमें माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण सभी भाई बहिनो के हस्ताक्षर होना जरूरी है तथा उक्त मकान विक्रय करने की प्रक्रिया में मेरे पक्षकार के बड़े भाई का देहान्त हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती सुनिता धवन एवं उनके पुत्र शशांक धवन के भी हस्ताक्षर करवाना आवश्यक है, जिस हेतु कई बार उनको आग्रह करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। उक्त मकान मेरे व्यवहारी के हक अधिकार में है, जो मेरे व्यवहारी के माता पिता के जीवनकाल में ही मेरे व्यवहारी को विभाजन में प्राप्त हुआ है। अतः हर खास आम को सूचित किया जाता है कि मेरा व्यवहारी उक्त मकान को विक्रय कर रहा है, यदि आपको इस संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो 07 दिवस के भीतर प्रकट करें अन्यथा इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा और मकान विक्रय करने की स्वीकृति मान ली जायेगी। सो सूचित रहे।

दिनांक : 29.06.2026 रामस्वरूप तेली- एडवोकेट
सेशन कोर्ट, गेट नं. 04 के पास, गुर्जर मोहल्ला, भीलवाड़ा (राज.), मो. 7728849729

आम सूचना

मैं मेरी व्यवहारी कम्पनी टाईगर होम फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड, उदयपुर (शाखा उदयपुर) से प्राप्त हिदायतानुसार सर्व साधारण को सूचित करता हूं कि श्रीमती शोभा शर्मा पत्नी श्री स्व. महेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी 29, न्यू विद्या नगर, सेक्टर 4, उदयपुर (राज.) के स्वामित्व का मकान संख्या 0-30, गोविन्द नगर योजना, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित है, जिसका कुलिया क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर है।

उक्त सम्पत्ति को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती सीमा कुंवर पत्नी श्री निर्भय सिंह चुण्डावत से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पिता श्री राम प्रसाद शर्मा द्वारा दिनांक 13.01.2017 को क्रय किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 07.08.2018 को श्री महेन्द्र कुमार शर्मा का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात् रजिस्टर्ड हकत्याग विलेख पत्र श्री मनोज शर्मा एवं श्री पंकज शर्मा पिता स्व. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा श्रीमती शोभा शर्मा पत्नी स्व. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा के पक्ष में दिनांक 11.10.2019 को निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक राजसमन्द में किया गया। जिससे श्रीमती शोभा शर्मा उक्त सम्पत्ति पर बतौर मालिक होकर काबिज है।

यह कि उक्त सम्पत्ति के असल आवंटन पत्र दिनांक 28.06.2008, असल अदेय प्रमाण पत्र/नियमितीकरण पत्र क्रमांक 1639 दिनांक 27.01.2014 एवं रजिस्टर्ड हक त्याग दिनांक 11.10.2019 उक्त तीनों दस्तावेज श्रीमती शोभा शर्मा से कहीं गुम हो गये हैं, जिसकी ऑनलाईन एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके ऑनलाईन एफआईआर LR NO: 3196777 /2026 दिनांक 29.06.2026 है।

उक्त सम्पत्ति को साम्यक बंधक रख मेरी व्यवहारी कम्पनी द्वारा श्री शुभम श्रीमाली पिता नरेन्द्र श्रीमाली को ऋण देने बाबत् किसी भी दिगर व्यक्ति, संस्था, बैंक, नगर निगम, आर.एच.बी. निकाय इत्यादि को कोई उजर, एतराज हो तो मय दस्तावेज सात दिवस में मेरे कार्यालय में लिखित आपत्ति मय प्रमाणित दस्तावेज पेश करें, अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार का कोई भी उजर, एतराज मेरे व्यवहारी के हितो के मुकाबले बेअसर व शून्य प्रभावी होगा, जो सूचित रहे।

स्थान : उदयपुर (एडवोकेट देवेन्द्र साहू)
दिनांक 29.06.2026 211, यूनिवर्सिटी रोड
बड़ी पीपली के सामने, उदयपुर-313001
मो. 9928366012

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर राजसमन्द, मुकाम राजसमन्द
श्री किशन सिंह वगेरा बनाम श्री उमाकान्त शर्मा वगेरा
मु नं. 150 सन् 2018 रे.वे. वाद,
मु नं. 1000 सन् 2018 रे.वे. प्रा. पत्र

प्रेषिति :- 1. श्री लोकेन्द्र सिंह पिता हनुवन्त सिंह राजपूत निवासी सिंह भूमि जयपुर पुलिस थाना वैशाली नगर जयपुर हाल निवासी जय सिदामाईक आरणा, केलवा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद 2. श्री चन्द्रा कुंवर पुत्री भूरसिंह राजपूत निवासी आरणा, केलवा तहसील राजसमद 3. श्रीमती नैनु कुंवर पुत्री भूरसिंह राजपूत निवासी आरणा केलवा तहसील राजसमंद 4. श्रीमती पुष्पा कुंवर पुत्री भूरसिंह राजपूत निवासी आरणा, केलवा तहसील राजसमंद 5. श्रीमती पारस कुंवर पुत्री भूरसिंह राजपूत निवासी आरणा, केलवा तहसील राजसमंद 6. श्रीमती धापु कुंवर पुत्री भूरसिंह राजपूत निवासी आरणा, केलवा तहसील राजसमंद तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

वादीगण किशनसिंह, शम्भूसिंह, गंगा सिंह, लेहर सिंह, गणेश सिंह, मदनसिंह, पेम सिंह, गणपत सिंह निर्भय सिंह पिता भूरसिंह व दरियाद बाई पत्नी भूरसिंह राजपूत निवासी आरणा केलवा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद मे आपके विरूद्ध बाद बाबत शाश्वत निषेधाज्ञा तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 13.07.2026 को दिन में 10.00 बजे प्रातः दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर दे सकें। आपको यह भी आदेश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे दस्तावेज, जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं, पेश करें, जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दाग अब वा या प्रतिरक्षा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं, तो या ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपबद्ध की जाने वाली सूचिष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे, तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।

यह आज दिनांक 24/06/26 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

मुहर
आज्ञा से- रीडर
न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमंद

वट सावित्री व्रत श्रद्धा और उल्लास से मनाया

डूंगरपुर (प्रातःकाल संवाददाता)। जिले में सोमवार को पूर्णिमा के अवसर पर वट सावित्री व्रत श्रद्धा और उगास के साथ मनाया। सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सोलह श्रृंगार कर पूजा-अर्चना की। सुबह से ही महिलाएं पूजा की थाली लेकर शिव मंदिरों में पहुँचीं। जहां,भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना की। शिव मंदिरों में पूजा के बाद महिलाओं ने वट बरगद, वृक्ष की पूजा की। उन्होंने जल, पुष्प, फल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर वट वृक्ष की परिक्रमा की। सूत का धागा लपेटते हुए अखंड सौभाग्य और परिवार के मंगल की प्रार्थना की गई। धार्मिक मान्यता है कि यह व्रत पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन की सुख-समृद्धि के लिए रखा जाता है। शहर के नया महादेव मंदिर, धनेश्वर शिवालय, गेपसागर की पाल स्थित शिव मंदिर, हजारेश्वर शिवालय और सारणेश्वर शिवालय सहित जिले के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पूजा-अर्चना और दर्शन के लिए महिलाओं की लंबी कतारें देखी गईं। कई स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से वट वृक्ष की पूजा कर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। व्रतधारी महिलाओं ने दिनभर निर्जला अथवा फलाहार व्रत रखा। वे शाम को पूजा के बाद व्रत का पारण करेंगी। पूरे जिले में वट सावित्री व्रत को लेकर धार्मिक वातावरण बना रहा और मंदिरों में दिनभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा।

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर श्री निमड़िया भैरव देव मंदिर में गादी (चौकी) कार्यक्रम आयोजित

निंबाहेड़ा(प्रातःकाल संवाददाता)। नगर के समीप स्थित पावन धाम श्री निमड़िया भैरव देव मंदिर में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर 29 जून, सोमवार को श्री भैरव देव जी की पारंपरिक गादी (चौकी) का आयोजन श्रद्धा, भक्ति गाना एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस दिव्य धार्मिक आयोजन में निंबाहेड़ा नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्मलाभ अर्जित किया। मंदिर प्रांगण में प्रातःकाल से ही भक्तों का आगमन प्रारंभ हो गया था। भक्ति और आस्था से ओत-प्रोत वातावरण के बीच दीपक वैष्णव एवं पंडित शम्भूनाथ के सान्निध्य में विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न कराए गए। वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-पाठ एवं विशेष आराधना के पश्चात श्री भैरव देव जी की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालु भाव-विभोर होकर शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने श्री भैरव देव जी के चरणों में शीश नवाकर अपने परिवार की सुख-समृद्धि, शांति, उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना की। मंदिर परिसर में श्रद्धा, अनुशासन और भक्तिभाव का अद्भुत संगम देखने को मिला।

यातायात नियमों की पालना के लिये किया प्रेरित

बांसवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। सरदार पटेल की 150वी जयंती पर राष्ट्रीय और जन सुरक्षार्थ श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित कार्यक्रम तथा पुलिस मुख्यालय यातायात शाखा जयपुर की ओर से चलाये जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कसारवाड़ी थाना पुलिस ने बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों से समझाईश की एवं निःशुल्क हेलमेट प्रदान कर यातायात नियमों की पालना के लिये प्रेरित किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के निर्देशन में जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये विशेष नाकाबंदी एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कसारवाड़ी थानाधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को रोककर समझाईश की गयी। थानाधिकारी सिंह ने कहा कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपने और परिवार की सुरक्षा के लिये जरूरी है एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार को अंधकार में धकेल सकती है। समझाइश के बाद वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट प्रदान किये गये। इसके पश्चात् पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों ने बाईक रैली के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। थानाधिकारी ने वाहन चालकों से दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग, कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग नहीं करने और गति सीमा का ध्यान रखने की अपील की।

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय जेएसईएल भवन, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर- 302017

सार्वजनिक सूचना - प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा-सह-ई-नीलामी
[नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय की सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 8(6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई है।
सर्वजन तथा व्यक्तिगत रूप से कर्ज़दार(रों) एवं ज़मानतदार(रों) को इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाई गई अचल संपत्ति संरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/ अधिभारित है। उनका भौतिक अधिग्रहण आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (संरक्षित ऋणदाता) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कर लिया गया है एवं दर्शाए विवरण अनुसार उनके द्वारा "जहाँ है जैसी है", "जैसी है वैसी है" एवं "जिस भी स्थिति में है" के आधार पर अचल संपत्ति के विक्रय के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं :-

क्र. सं.	कर्ज़दार(रों)/ सह-कर्ज़दार(रों)/ जमानतदार(रों) के नाम/ ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्तियों का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई है	बकाया राशि (रु. में)	सुरक्षित मूल्य (रु. में) / धरोहर राशि जमा (रु. में)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	नीलेश तलवाडिया (आवेदक), शीतल तलवाडिया (सह-कर्ज़दार), खाता संख्या LBBNS00000704535	प्लॉट नंबर 86, ऋषि कुंज, रतलाम रोड, कागदी पिकअप, बाँसवाड़ा, राजस्थान- 327001. क्षेत्रफल- 1350 वर्ग फुट	रु. 9,26, 766/- जून 20, 2026 तक	रु. 11,90, 000/- / रु. 1,19, 000/-	जुलाई 09, 2026 को सु. 11:00 बजे से दो. 02:00 बजे तक	जुलाई 22, 2026 को सु. 11:00 बजे से दो. 12:00 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी संस्था **वैल्यूट्रस्ट कैपिटल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड** की वेबसाइट **(URL Link- https://BidDeal.in)** पर संचालित होगी। बंधककर्ताओं/ सूचना प्रेषितकर्ताओं का **जुलाई 21, 2026** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक कुल बकाया राशि उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर इस/इन संरक्षित संपत्ति(यों) की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।
संभावित बोलीकर्ता(ओं) को बयाना राशि (ईएमडी) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम **ई** देखें) जो **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय जेएसईएल भवन, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर- 302017** में **जुलाई 21, 2026** तक **शाम 05:00** बजे से पूर्व जमा करना अनिवार्य है एवं इसके पश्चात् वे अपना प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित वेबसाइट के माध्यम से ईएमडी के भुगतान साक्ष्य अर्थात बैंक डीडी पावती की स्कैन इमेज (छायाप्रति) **जुलाई 21, 2026** तक **शाम 05:00** बजे से पूर्व जमा करें। यदि संभावित बोलीकर्ता(ओं) वेबसाइट के माध्यम से उनके प्रस्ताव को जमा कराने में विफल रहते हैं, तो वे **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय जेएसईएल भवन, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर- 302017** में निविदा प्रलेखों की हस्ताक्षरित प्रति को **जुलाई 21, 2026** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक जमा करवा सकते हैं। बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर किसी भी राष्ट्रीयकृत/ शैड्यूल्ड बैंक द्वारा **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** की **जयपुर** शाखा के पक्ष में भुगतान हेतु होना चाहिए।
संपत्ति निरीक्षण, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आईसीआईसीआई बैंक** कर्मचारी के फोन नंबर **9252097970** पर संपर्क करें।
कृपया नोट करें कि मार्केटिंग एजेंसियाँ **1. वैल्यूट्रस्ट कैपिटल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, 2. ऑजियो एसेट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 3. मेटेक्स नेट प्राइवेट लिमिटेड, 4. फिनविन एस्टेट डील टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, 5. गिरनारसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, 6. हेक्टा प्रॉप टेक प्राइवेट लिमिटेड, 7. आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, 8. नोवेल एसेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, 9. नोब्रोकर टेक्नोलॉजीज़ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड** इस संपत्ति की बिक्री में सुगमता हेतु सलंग्न हैं।
प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण दर्शाए किसी एक अथवा अधिक निविदा व बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाइट www.icicibank.com/n4p4s पर संपर्क करें ।

तिथि : जून 30, 2026
स्थान : बाँसवाड़ा
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

isarc
इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ('AIIL') की सहायक कंपनी)
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 11वीं मंजिल, उत्तरी-पश्चिमी विंग, प्लॉट नंबर 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर वेस्ट, मुंबई- 400028

दिनांक 05.06.2026 की सार्वजनिक सूचना का शुद्धिपत्र

**दिनांक 05.06.2026 के SARFAESI ई-नीलामी/विक्रय सूचना के संबंध में यह शुद्धिपत्र जारी किया जाता है, जो 06.06.2026 को द बिज़नेस स्टैंडर्ड एवं प्रातःकाल समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। उक्त सूचना के अनुसार 30.06.2026 को निर्धारित ई-नीलामी के अंतर्गत श्री अरविंद सिंह चौहान पुत्र श्री सुमेर सिंह के नाम स्थित वाणिज्यिक भूखंड संख्या सी-01, जो खसरा संख्या 602 से 605, 700, 701, 703, 704, 707, 1178/702 एवं 698, विनायक नगर, किस्मीदेसर, बीकानेर, राजस्थान - 334001